**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**
**लोक सभा**
**लिखित प्रश्न संख्या : 669**
**गुरूवार, 28 नवम्बर, 2024/ 7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर**

**विमानन अवसंरचना का विकास**

**669. डॉ. लता वानखेड़ेः**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा नए विमानपत्तनों की स्थापना और विमानन अवसंरचना के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) किन-किन शहरों में नए विमानपत्तन स्थापित किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार हवाई यात्रा को और अधिक वहनीय और सुलभ बनाने के लिए कोई नई पहल करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उड़ान योजना के अंतर्गत कितने नए मार्गों को शामिल किया गया है; और

(ङ) छोटे शहरों और गांवों के लिए हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**
**नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)**

(क) और (ख) : भारत सरकार ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा (जीएफए) नीति, 2008 तैयार की है, जो देश में नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और शर्तें प्रदान करती है। इस नीति के अनुसार, राज्य सरकार सहित कोई भी हवाईअड्डा विकासकर्ता, जो हवाईअड्डा स्थापित करने को इच्छुक है, उसे दो-चरण के अनुमोदन प्रक्रिया, अर्थात 'साइट क्लीयरेंस' के उपरांत 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के लिए निर्धारित प्रारूप में नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्ताव भेजने की आवश्यकता है।

भारत सरकार ने अब तक देश भर में 21 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान की है, जिनमें गोवा में मोपा, महाराष्ट्र में नवी मुंबई, शिरडी और सिंधुदुर्ग, कर्नाटक में कलबुर्गी, विजयपुरा, हसन और शिवमोग्गा, मध्य प्रदेश में डबरा (ग्वालियर), उत्तर प्रदेश में कुशीनगर और नोएडा (जेवर), गुजरात में धोलेरा और राजकोट, पुडुचेरी में कराईकल, आंध्र प्रदेश में दगडार्थी, भोगापुरम और ओरवाकल (कुर्नूल), पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, सिक्किम में पाक्योंग, केरल में कन्नूर और अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर शामिल हैं।

इनमें से 12 ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों, अर्थात्, दुर्गापुर, शिरडी, सिंधुदुर्ग, पाक्योंग, कन्नूर, कलबुर्गी, ओरवाकल, कुशीनगर, ईटानगर, मोपा, शिवमोग्गा और राजकोट का प्रचालन शुरू कर दिया गया है।

देश में विमानन अवसंरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) और पीपीपी भागीदारों ने वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान

91,000 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजीगत व्यय योजना शुरू की है। इसमें से, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय एएआई द्वारा किया जा रहा है और शेष राशि का व्यय पीपीपी मोड के तहत निजी हवाईअड्डा प्रचालकों/विकासकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) : जनसाधारण के लिए हवाई यात्रा किफायती बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने देश में असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाने हेतु अक्टूबर 2016 में आरसीएस–उड़ान योजना शुरु की थी। 'उड़ान' योजना के तहत किफायती हवाई यात्रा को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है, जिसमें केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा रियायतों के माध्यम से चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) को सहायता दी जाएगी, ताकि क्षेत्रीय मार्गों पर प्रचालन की लागत को कम किया जा सके और अंतर को समाप्त करने के लिए वित्तीय व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता प्रदान की जा सके।

'उड़ान' मांग आधारित योजना है, जिसमें इच्छुक एयरलाइनें, विशेष मार्गों पर मांग के अपने आकलन के आधार पर, योजना के तहत बोली प्रक्रिया के समय अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करती हैं। असेवित और अल्पसेवित हवाईअड्डों/हवाई पट्टियों का विकास/जीर्णोद्धार/स्तरोन्नयन, वैध बोली के माध्यम से इन्हें चिह्नित किए जाने और चयनित एयरलाइन प्रचालक (एसएओ) को सौंपने के उपरांत शुरू किया जाता है।

दिनांक 25.11.2024 तक, 2 वॉटर एयरोड्रोमों और 13 हेलीपोर्टों सहित 86 हवाईअड्डों को जोड़ने वाले 609 मार्गों में अब तक आरसीएस के तहत प्रचालन शुरू किया जा चुका है। देश भर में अब तक 146 लाख से अधिक यात्रियों को 'उड़ान' योजना का लाभ मिला है।

******